



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042024-253976  
CG-DL-E-30042024-253976

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1771]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 30, 2024/वैशाख 10, 1946

No. 1771]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 30, 2024/VAISAKHA 10, 1946

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2024

**का.आ. 1863(अ).**—केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-शोधन अधिनियम कहा गया है) की धारा 11क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि रिपोर्टकर्ता अस्तित्व, अर्थात् दि 360 वन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसिज लिमिटेड, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आधार अधिनियम कहा गया है) के अधीन निजता और सुरक्षा के मानकों का अनुपालन करेगा और आधार अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ परामर्श के पश्चात् ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है और समुचित विनियामक अर्थात् भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड उक्त रिपोर्टकर्ता अस्तित्व को धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 11क के प्रयोजनों के लिए आधार अधिनियम के अधीन अधिप्रमाणन का निष्पादन करने के लिए अनुज्ञात करता है।

[फा. सं. पी-12011/3/2022-ईएस सेल-डीओआर]

मनोज कुमार सिंह, निदेशक (मुख्यालय)

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th April, 2024

**S.O. 1863(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) (hereinafter referred to as the Money-laundering Act), the Central Government on being satisfied that the reporting entity, namely, the 360 ONE Distribution Services Limited shall comply with the standards of privacy and security under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the Aadhaar Act), and it is necessary and expedient to do so, and after consultation with the Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11 of the Aadhaar Act and the appropriate regulator namely, the Securities and Exchange Board of India, hereby permits the said reporting entity to perform authentication under the Aadhaar Act for the purposes of section 11A of the Money-laundering Act.

[F. No. P-12011/3/2022-ES Cell-DOR]

MANOJ KUMAR SINGH, Director (Headquarter)